

समाकृत जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ

e-mail-meso.seraikella@gmail.com & dwo.seraikella@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक- 509 / आई0टी0डी0ए0

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/संस्था प्रधान/प्रधानाध्यापक
सरायकेला-खरसावाँ।

सरायकेला, दिनांक- 26.03.2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ई-कल्याण पोर्टल पर छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदनों का ससमय त्रुटि का निराकरण करने के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यालय पत्रांक-388/आई0टी0डी0ए0, दिनांक-05.03.2021

उपर्युक्त विषय एवं प्रसागिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2018 के प्रावाधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जिला अन्तर्गत संस्थान/महाविद्यालयों के द्वारा आमंत्रित ई-कल्याण पोर्टल पर छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों का जाँचोपरात जिला कल्याण कार्यालय द्वारा विभागीय नियमावली शर्तों के निमित्त पाये गये छात्र-छात्राओं का आवेदन Approval किया गया है एवं जिन छात्र-छात्राओं के द्वारा Document गलत अपलोड किया गया है। वैसे छात्रों का DA_Level से Pending कर सही दस्तावेजों को Upload करने हेतु Edit Option विभाग द्वारा खोल दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि Da_Level से Pending छात्र-छात्राओं का त्रुटि का निराकरण कर ससमय दिनांक-28.03.2021 तक सही दस्तावेजों को अपलोड कराने हेतु अपने स्तर से छात्र-छात्राओं का सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही छात्र-छात्राओं का Pending से सम्बंधित त्रुटि का निराकरण दिनांक-28.03.2021 तक नहीं होने पर छात्रवृत्ति से वंचित होने पर इसकी सारी जवाबदेही विद्यालय/संस्थान की होगी।

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

दिनांक - 26.03.2021

26/3/21
प्राचार्य

26/3/21
26.03.2021

40
26/3/21

पत्रांक - 175

प्रतिनिधि

- (1) एम.बी. खन्ना के लूचका
- (2) लूचका पर